सुंदरता के लिए कुरबान नहीं होंगे बेज़ुबान जीव

संध्या रायचौधरी

किसी के जीवन की कीमत पर इंसानी देह की सुंदरता बढ़ाने से भारत ने तौबा कर ली है। जंतुओं पर क्रूर प्रयोग कर सौंदर्य प्रसाधन बनाने और ऐसे उत्पादों का आयात करने पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने अमेरिका और चीन जैसे अग्रणी देशों के लिए नज़ीर पेश की है।

इसी के साथ भारत दक्षिण एशिया में सौंदर्य प्रसाधनों के मामले में क्रूरता मुक्त देश बन गया है। ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल नामक गैर सरकारी संगठन आयात पर रोक लगाने के लिए कई दिनों से अभियान चला रहा था। उन्होंने बताया कि सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून में एक नई धारा जोड़ी है। इसके बाद ऐसे किसी भी सौंदर्य उत्पाद का देश में आयात नहीं किया जा सकता जिसे बनाने के लिए जंतुओं पर प्रयोग किए गए हों।

इससे पहले 23 मई को देश में सौंदर्य उत्पाद बनाने के लिए जंतु परीक्षण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल ने इस खबर के बाद टिप्पणी में कहा, "यह एक बड़ी उपलब्धि है जो सरकार, उपभोक्ताओं और उद्योग के सहयोग के बगैर संभव नहीं हो सकती थी। हमें पूरा विश्वास है कि अगर दूसरे मामलों में भी जंतु प्रयोग रोके जा सके तो भारतीय विज्ञान का आधुनिकीकरण होगा और कई जानवर पीड़ा से बच जाएंगे।'

भारत से पहले युरोपीय संघ ने भी ऐसा ही प्रतिबंध अपने सदस्य देशों के लिए लागू किया था। जंतु अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह पेटा ने भी इस फैसले का स्वागत किया है।

पेटा में विज्ञान नीति सलाहकार डॉ. चैतन्य कोदुरी के अनुसार यह पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब शैंपू, मस्कारा या अन्य सौंदर्य उत्पादों के लिए किसी खरगोश को अंधा करना सहन नहीं करेगा। इस फैसले से उस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा जो जंतुओं पर प्रयोग नहीं करता। भारत के विपरीत चीन और जापान में सौंदर्य उत्पादों के लिए जंतुओं पर परीक्षण करना अनिवार्य है।

ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल, इंडिया के *बी क्रुएल्टी फ्री* (क्रूरता मुक्ति) अभियान की मैनेजर आलोकपर्णा सेनगुप्ता ने कहा, "इस ऐतिहासिक प्रतिबंध, जिसमें जंतुओं पर प्रयोग के बाद बनाए गए सौंदर्य उत्पादों का आयात नहीं किया जाएगा, को लागू कर भारत ने दक्षिण एशिया में इतिहास बना दिया है।

भारत ने कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए जंतु परीक्षणों पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के कुछ महीने बाद ही भारत ने ऐसे परीक्षण से गुज़रने वाले उत्पादों के आयात पर भी रोक लगा कर कारोबारी हितों की बजाय जीव मात्र के जीवन को अहमियत देने का संदेश दुनिया को देने की कोशिश की है। भारत का यह फैसला न सिर्फ जीव हिंसा को रोकने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक कूटनीति के नज़रिए से भी अहम है।

इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए भारत सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून में बदलाव किया है। ये नियम स्वास्थ्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए अब जंतुओं पर परीक्षण से बने सौंदर्य प्रसाधनों का आयात भी प्रतिबंधित हो गया है। इस नियम में बदलाव का सीधा असर चीन, जापान और अमेरिका से होने वाले आयात पर पड़ेगा। कानून के जानकारों का मानना है कि भारत को इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाने वाले देशों के साथ आयात-निर्यात सम्बंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तोड़ने पड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार प्रोफेसर अविनाश हजेला का मानना है कि भारत सौंदर्य प्रसाधनों के लिए दुनिया का एक बड़ा बाज़ार है। इस क्षेत्र में चीन, जापान और खासकर अमेरिका की तमाम कंपनियों ने द्विपक्षीय समझौतों के तहत भारत में भारी निवेश किया है। ऐसे में ये कंपनियां भारत में पुराने

नियमों की बाध्यता का हवाला देकर हर्जाने का दावा कर सकती हैं।

वास्तव में चिंता इस बात कि होनी चाहिए कि प्रतिबंध प्रभावी तौर पर कितना लागू हो पाएगा। बीते छह दशकों का इतिहास बताता है कि कानूनों की बहुलता के बावजूद भारत इन्हें लागू करने में नितांत अक्षम साबित हुआ है। सौंदर्य प्रसाधनों के जंतुओं पर परीक्षण को प्रतिबंधित करने के बाद अब तक सरकार ठोस प्रमाण नहीं दे पाई है कि उक्त बदलाव के फलस्वरुप कितने जानवरों को जीवनदान मिला है। समय ही बताएगा कि जंतुओं पर प्रयोग करके तैयार होने वाले सौंदर्य प्रसाधनों का आयात तस्करी के माध्यम से भारत की सीमा में किस हद तक रुक पाता है।

युरोप में अब ऐसा कोई भी सौंदर्य उत्पाद नहीं बेचा जा सकेगा जिसका परीक्षण जंतुओं पर किया गया हो। युरोपीय संघ में बने सौंदर्य उत्पादों का जंतुओं पर परीक्षण 2004 में ही रोक दिया गया था। चार साल पहले ऐसे उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया जिनमें इस्तेमाल होने वाले किसी पदार्थ का परीक्षण जंतुओं पर किया गया हो। कंपनियों ने इसका काफी विरोध किया।

जानवरों की रक्षा के लिए काम करने वाले ह्यूमन सोसायटी इंटरनेशनल संगठन सहित कई संगठनों ने युरोपीय संघ के इस कानून का स्वागत किया है और जानवरों पर परीक्षण को पूरी तरह रोकने का कदम अहम बताया है। उनके मुताबिक इस फैसले के बाद यह दुनिया की इकलौती कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होगी जहां जंतुओं को पीड़ा से नहीं गुज़रना पड़ेगा। संगठन ने उम्मीद जताई है कि दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं वाले युरोपीय संघ का यह कदम धीरे-धीरे पूरी दुनिया पर असर करेगा। दूसरी ओर युरोपीय व्यापार संगठन का कहना है कि इस प्रतिबंध के कारण उद्योग की प्रतियोगी क्षमता पर असर पड़ेगा और यह रोक लगाने में बहुत जल्दबाज़ी की गई है क्योंकि कई मामलों में जंतु परीक्षण का कोई विकल्प नहीं है।

कॉस्मेटिक्स युरोप के प्रमुख बेर्टी हीरिंक ने कहा है कि इस समय प्रतिबंध लगाकर युरोपीय संघ उद्योग की रचनात्मक क्षमता में अड़ंगा डाल रहा है। युरोपीय आयोग के मुताबिक 2010 में युरोप की कॉस्मेटिक कंपनियों ने 71 अरब यूरो कमाए थे और इस उद्योग में करीब एक लाख अस्सी हज़ार लोग काम करते हैं। आयोग ने कहा है कि वह अपने व्यापार साझेदार अमेरिका और चीन से इस बारे में बात करके युरोपीय मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिलवाने की कोशिश करेगा। आयोग इसे युरोपीय संघ के व्यापार एजेंडा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अहम हिस्सा बनाएगा। फिलहाल युरोपीय संघ के बाहर बने नए कॉस्मेटिक उत्पाद, जिनका जंतुओं पर परीक्षण किया गया हो, युरोप में बिक सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ जंतु परीक्षण के आधार पर उत्पाद की सुरक्षा साबित नहीं कर सकते; इसके लिए अतिरिक्त परीक्षणों के नतीजे दिखाने होंगे। कुछ सौंदर्य प्रसाधन ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और इन दवाइयों का परीक्षण जंतुओं पर किया जाता है। युरोपीय नियमों के मुताबिक ऐसे दवायुक्त उत्पाद युरोप में बेचे जा सकते हैं।

सुंदरता की क्रीम, पावडर और लिपस्टिक जैसी चीज़ों को हम तक पहुंचने से पहले जंतुओं पर जांचा जाता है। परीक्षण के दौरान नुकसानदायक प्रतिक्रियाएं भी हो जाती हैं, जिससे कई बेज़ुबान जीव अपनी जान गंवा देते हैं।

जानवरों के हित में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन पेटा के मुताबिक हर साल केवल अमेरिका में ही करीब 10 करोड़ जानवर कई प्रयोगों में दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के परीक्षण के कारण मारे जाते हैं। इनमें खरगोश, बिल्ली, चूहे, चिड़िया वगैरह शामिल हैं। कई सौंदर्य उत्पादों के परीक्षण चूहों पर होते हैं। बिल्ली पर ज़्यादातर तंत्रिका सम्बंधी परीक्षण होते हैं। इनमें तनाव सम्बंधी दवाओं का परीक्षण शामिल है। मस्कारा और टूथपेस्ट जैसे कई उत्पादों का परीक्षण हैम्सटर, खरगोश, चूहों जैसे जंतुओं पर होता है। लिपस्टिक के परीक्षण के लिए चूहों के मसूड़ों पर इसे मलकर देखा जाता है कि मसूड़े पर छाले तो नहीं पड़ रहे। शैम्पू के परीक्षण के लिए खरगोशों की आंखों की पलकों को हटाकर उनमें शैम्पू का रसायन डालते हैं। अगर वह आंशिक या पूर्ण रूप से अंधे हो जाएं तो इसे इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। ***(स्रोत फीचर्स)***